# वार्षिक प्रतिवेदन

# 2015-16

## Multi Art Association (MAA)

**Regd. Office :-** Maa Bhawan Panki, Road, Redma, Daltongnaj, Palamu

**Head office / Mailing Address :-** H.No. – 153/A/1, Street :- Budhandih, Near Bazar Samiti, Sudna, Daltonganj, Palamu, Jharkhand-822102, Mob. No.- 09431193202, 09852910778

**E-mail Id :-** maa.palamu@gmail.com, www.maango.org

# वार्षिक प्रतिवेदन 2014–2015

## –: संस्था का विजन (दृष्टि) :–

दलित–आदिवासी, महिलाओं और बच्चों सहित समाज के कमजोर वर्ग को षिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और आजीविका से जोड़ कर एक टिकाऊ विकास की परिकल्पना करना, जिससे कि पर्यावरण, भाषा–संस्कृति, रीति–रिवाज, समाजिक संरचना, मौलिक अधिकार और मानवीय मूल्यों की रक्षा हो सके और स्वस्थ्य समाज की स्थापना किया जा सके।

## संस्थागत कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि

मल्टी आर्ट एसोसिएषन सोसाइटी रजिस्ट्रेषन एक्ट की धारा 21, 1860 के तहत् निबंधित एक गैर सरकारी संस्था है। संस्था निर्माण काल से ही पलामू प्रमण्डल सहित पूरे झारखंड में समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए काम करती आ रही है। उनके हक व अधिकार के प्रति लोगों को सजग कर रही है। इसके साथ ही संस्था सरकार द्वारा समन्वय स्थापित कर सरकारी कार्यक्रमों को बेहतर बनाने तथा उसका समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करती रही है। पलामू प्रमंडल जैसे सुखाग्रस्त इलाकों में आजीविका के लिए लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। उसी संघर्ष से निबटने के लिए संस्था द्वारा आजीविका सुनिष्चित कराने की दिषा में प्रयास शुरू किया गया है। उन्ही प्रयासों के तहत् पलामू, गढ़वा व लातेहार जिले के मनिका, बरवाडीह के गारू और महुआडांड प्रखंड के करीब 10 गांवों में लाह की खेती को बढ़ा देने उद्देष्य से लाह विकास कार्यक्रम की शुरूआत की गयी। वहीं दूसरी ओर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को लेकर मनिका व बरवाडीह के 163 गांवों में सीधे तौर पर सीएफटी कार्य से जुड़ी है, इसके अलावे लातेहार हेरहेंज सहित अन्य प्रखंडों व गढ़वा के चिनियां, भंडरिया, रमकनडा और रंका प्रखंड तथा पलामू के चैनपुर, पांकी, मनातू, तरहसी लेस्लीगंज व सतबरवा प्रखंमें मनरेगा के साथ साथ ग्राम सभा सषक्तिकरण, वन अधिकार कानून 2006, सूचना के अधिकार अधिनियम, खाद्य सुरक्षा जैसे मामलों को लेकर संस्था जिला से लेकर राज्य स्तर पर एडवोकेसी करते हुए बेहत्तर विकास का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। संस्था जन मुद्दों को मीडिया व अन्य संचार माध्यमों के द्वारा समय–समय पर उजागर करते रही है। दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के प्रचार कर उनके प्रावधानों को बजट के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास शुरू किया है। षिक्षा अधिकार कानून के प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाकर बच्चों के षिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास करते आ रही है।

# संस्था के बारे में

- संस्था का नाम : मल्टी आर्ट एसोसिएशन।
- निबंधित कार्यालय : माँ भवन, पांकी रोड, रेड़मा, मेदिनीनगर, पलामू (झारखण्ड)
- पत्रचार एवं/मुख्य कार्यालय : म0 सं0 153/अ/1, मुहल्ला– बुधनडीह, सुदना नियर बाजार समिति, सुदना, डालटनगंज, पलामू, झारखंड–822102
  E-mail-maa.palamu@gmail.com
  www. maango.org
- संस्था का निबंधन : सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860/177/2007–08
- निबंधन संख्या : 177/2007–08
- पैन संख्या : **AACTM9265D**
- 12A प्रमाण पत्र संख्या : **12A-79/2010-11/2153-60**
- FCRA No. : 337790038
  **FCRA बैंक खाता संख्या :**– 30774140433
  शाखा: भारतीय स्टेट बैंक, कृषि विकास शाखा, डालटनगंज
- सामान्य बैंक खाता संख्या : 1. खाता संख्या–**32401106459**
  शाखा:– भारतीय स्टेट बैंक, कृषि विकास शाखा, डालटनगंज
  2. खाता संख्या **12588104000016940**
  शाखा:– **IDBI Bank**, डालटनगंज शाखा।
- खाता संचालन : अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षर से जिसमें कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

## संस्था की कार्यकारिणी समिति

| क्र.सं | नाम | पता | शैक्षणिक योग्यता | पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | जितेंद्र सिंह | ग्राम–चेताग, पो. रॉकी कला थाना–मनिका, जिला पलामू | आई.टी.आई | अध्यक्ष |
| 2. | मिथिलेष कुमार विष्वकर्मा | नियर, बाजार समिति, सुदना, डालटनगंज, पलामू, झारखंड | एम.ए.आर.डी. | सचिव |
| 3. | जेम्स हेरेंज | ग्राम चीरो, पो0 + थाना–चंदवा जिला– लातेहार | आई.टी.आई | कोषाध्यक्ष |
| 4. | सुमंती कुजूर | ग्राम सरनाडीह, पो0–बसकरचा थाना–महुआडांड, लातेहार | आई. ए | सदस्य |
| 5. | नीलम खलखो | ग्राम तम्बोली नवाडीह पो0 बसकरचा थाना–महुआडांड, लातेहार | बी.ए. | सदस्य |
| 6. | संतोष कुमार | ग्राम बारालोटा, पो0 जीएल कॉलेज, डालटनगंज, पलामू | बी.कॉम | सदस्य |
| 7. | वीरेंद्र कुमार | ग्राम मुड़वा, पो0 कांकेकला थाना पाटन, जिला पलामू | ग्रेजुएट | सदस्य |

# आच्छादित जिला, प्रखण्ड एवं गांव

| क्र स | जिला | प्रखंड | गांव की संख्या | कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | लातेहार | बरवाडीह, मनिका, गारू और महुआडांड | 180 | सीएफटी, वनाधिकार, नरेगा सहायता केंद्र, लाह की खेती, जनसंगठन व नेटवर्क कार्यक्रम का संचालन |
| 2. | पलामू | मनातु, चैनपुर, रामगढ़, सतबरवा, डालटनगंज, लेस्लीगंज, पांकी और तरहसी | 50 | लाह की खेती, वनाधिकार कानून, शिक्षा अधिकार कानून में 25 प्रतिशत बजट कैंपेन के साथ जनसंगठन व नेटवर्क कार्यक्रम |
| 3. | गढ़वा | मेराल व भंडरिया, चिनियां, रमकन्डा | 30 | लाह की खेती, जन संगठन व नेटवर्क कार्यक्रम |

| मानव संसाधनन | पुरुष | महिला | कुल | भौतिक संसाधन | संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| कार्यालय स्टॉफ फुल टाईम | 2 | 1 | 3 | कार्यालय भवन (मनिका एवं बरवडीह) | 2 |
| फिल्ड स्टॉफ फुल टाइम - 24 पार्ट टाईम – 30 | 36 | 18 | 54 | डिजीटल कैमरा | 4 |
| कॉडिनेटर | 3 | | 3 | कम्प्युटर व लैपटॉप | 4+6 |
| इंजिनियर | | | | विडियो कैमरा | 1 |
| | | | | मोटरसाइकिल | 2 |
| | | | | टैब | 10 |

## संस्था के जीविकोपार्जन व अन्य मुद्दे

- नरेगा सहायता केन्द्र के माध्यम से मनरेगा के बेहत्तर क्रियान्वयन हेतु हस्तक्षेप एवं जनवकालत।
- सूचना का अधिकार, षिक्षा का अधिकार व वनाधिकार सहित सभी अधिकार के लिए बने कानूनों का प्रचार प्रसार, हस्तक्षेप व जनवकालत।
- किसान समूहों के माध्याम से लाह की खेती।
- श्री विधि से धान की खेती
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु हस्तक्षेप एवं जनवकालत।
- गांव व स्वच्छ व स्वस्थ्य बनाने की परिकल्पना।
- षिक्षा, स्वास्थ्य व जागरुकता के लिए पहल।
- प्राकृतिक संसाधनों को लेकर गांव का बेतहर प्लानिंग व क्रियान्वयन ।

# नेटवर्क के अंतर्गत कार्यक्रम

| क्र.सं. | कार्यक्रम | नेटवर्क | मुद्दा | क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSP and SCSP बजट कैंपेन | एन.सी.डी.एच.आर. नई दिल्ली | दलित व आदिवास उप योजना | पलामू, गढ़वा, लातेहार व झारखंड के अन्य जिले |
| 2 | RTE 25 % कैंपेन | CSEI, New Delhi and | शिक्षा कानून में कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 25 प्रतिषत को लेकर प्रचार–प्रचार | पलामू, गढवा और लातेहार |
| 3 | वन भूमि पर सामुदायिक व व्यक्ति पट्टा का लेकर कैंपेन | झारखंड वनाधिकार मंच व कल्याण विभाग झारखंड, सरकार | वनाधिकार कानून के प्रावधान की जानकारी व जागरूकता | पलामू, गढ़वा व लातेहार |
| 4 | मनरेगा व भोजन के अधिकार अभियान का लेकर जनवकालत व जागरूकता कार्यक्रम। | नरेगा वॉच, झारखंड भोजन के अधिकार अभियान, झारखंड | मनरेगा व भोजन के अधिकार कानून व सामाजिक के सुरक्षा योजनाएं | पलामू, गढ़वा और लातेहार |

## हमारे कार्यक्रम

### CFT- MGNREGA कार्यक्रम

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, JSLPS तथा एस.पी.डब्लू.डी के सहयोग से लातेहार जिला के मनिका एवं बरवाडीह प्रखंड में CFT-MGNREGA कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के 4 अंतर्गत 4 मुख्य उद्देश्य हैं:–

- प्रकृतिक संसाधन प्रबंधन पर केन्द्रित मनरेगा योजनाओं का ग्राम सभाओं से पारित कर क्रियान्वयन करना।
- परियोजना अवधि के समाप्ति तक सभी रोजगार के इच्छुक दलित व आदिवासी परिवारों को 75 दिन रोजगार सुनिश्चित करना।
- 25 प्रतिशत अतिरिक्त आय वृद्धि सुनिश्चित कराना यह मनरेगा मजदूरी के अतिरिक्त मनरेगा परिसंपतियों के टिकाऊ निर्माण से होगी।
- कम से कम 75 प्रतिशत मजदूरी भुगतान मस्टर रॉल समाप्ति की तिथि के 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित कराना।

# परियोजना के लक्ष्य प्राप्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2015—16 में निम्नलिखित कार्य संपन्न किये गये।

**मजदूर समूहों का गठन एवं समूह लीडरों का प्रशिक्षण** :— लातेहार जिला के मनिका और बरवाडीह प्रखंड के विभिन्न गांवों में 10 से 15 नरेगा मजदूरों को मिलाकर 196 मजदूर समूह का गठन किया गया। इन मजदूरों को प्रषिक्षित कर मनरेगा के प्रदत्त अधिकार जैसे काम की मांग, बकाया मजदूरी सहित अन्य रामस्याओं को लेकर मनरेगा मजदूर ग्रुप के माध्यम से समस्याओं को प्रशासनिक पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोषिष की जा रही है, ताकि सही समय पर मनरेगा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान हो सके।

**महिला समूहों से मेट का चयन व प्रशिक्षण** :— मनरेगा में महिला मजदूरों के भागीदारी बढ़ाने के लिए सीएफटी अंतर्गत पड़ने वाले गांवों में मनिका से 42 तथा बरवाडीह से 41 कुल 83 महिला मेटों का चयन कर महिला मेटों को प्रषिक्षण दिया गया।

**पंचायत प्रतिनिधियों व नरेगाकर्मियों को प्रशिक्षण** :— बरवाडीह और मानिका में मनरेगा कानून की पहुच मजदूरों तक पहुचाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का प्रषिक्षण किया गया, ताकि पंचायत प्रतिनिधि व मनरेगाकर्मियों की मनरेगा कानून की समझ बन सके। ताकि मनरेगा का क्रियान्वयन सही तरीके से किया जा सके। पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत रोवक व रोजगार सेवकों को बेसीक कम्पूटर तथा मनरेगा सॉट के माध्यम से एमआईएस की जानकारी लेना तथा एफटीओ साइन सहित कई तरह के प्रषिक्षण भी दिये गये, ताकि मनरेगा कानून को और भी बेहतर बनाया जा सके।

**आजीविका का मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण** :— मनरेगा मजदूरों का मनरेगा से बने संसाधन से आजीविका को मजबूत करने के लिए बरवाडीह और मनिका में कुआं के लाभुकों को सतत कृषि तकनीक प्रषिक्षण दिया। लाभुको कुआं से उप योजना कैसे खेती के साथ अपनी आजिवीका सुनिष्चि कर सकते हैं। लाभुकों को श्रीविधि से धान की खेती, सब्जी की खेती आधुनिक तरीके से कर आजीविका को मजबूत करने के लिए भी प्रषिक्षण दिया गया। ताकि मनरेगा मजदूरों का मनरेगा के साथ कृषि से भी उनकी आजीविका सुनिष्चि हो सके और मनरेगा बने संसाधन का समुचित उप किया जा सके।

**प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित योजना निर्माण के लिए सीएफटी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण** :— मनिका और बरवाडीह के सभी सीएफटी कार्यकर्ताओं को प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतू जल प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों को केंद्रिक कर गांव के लिए कार्य योजना तैयार करने की भी प्रषिक्षण दिया गया। ताकि गांवों में गांव व लोगों के जरूरत के अनुसार कार्य योजना बनाया जा सके। दो दिवसीय प्रषिक्षण में प्लानिंग के सभी तकनीकि पहुलाओं को बारिकी से सिखाया गया के बेहतर तरीके से गांव के आधरभूत संरचना और प्राकृतिक संसाधनों को केंद्रीत कर बेहत कार्य योजना बनाया जा सके। प्रषिक्षण के बाद सीएफटी कार्यकर्ताओं ने योजना बनाओं अभियान में इस तकनीकि प्रषिक्षण का बेहतर इस्तेमाल किया।

## योजना बनाओ अभियान 2015

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 13 (1) में बनाई गई स्कीमों के नियोजन और अन्य कार्यान्वयन के लिए जिला, मध्यवर्ती और ग्राम स्तरों पर पंचायतें प्रधान प्राधिकारी होंगी। अधिनियम की धारा 16 (3) (4) में उल्लिखित है कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और वार्ड सभाओं की सिफारिषों के अनुसार किसी स्कीम के अधीन ग्राम पंचायत क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए ली जाने वाली परियोजना की पहचान और ऐसे कार्य के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिए परियोजनाएं उत्तरदायी होंगी।

ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में वर्ष 2015 एवं 16 में झारखण्ड सरकार ने राज्यव्यापी योजना बनाओ अभियान की शुरूआत की। राज्य भर में कार्यक्रम की सफलता के लिए सीफटी सदस्यों, प्रखण्डवार 2 3 राज्य संदर्भ सदस्य (State Resource Team), पंचायत प्रतिनिधियो, महिला समूहों, ग्रामीणों तथा ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े सभी कर्मियों एवं अधिकारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित की गई। पंचायत स्तर पर पंचायत प्लानिंग दल गठित की गई। जिसमें महिला समूह सदस्यों, मनरेगा श्रमिक, वार्ड सदस्य एवं ग्राम रोजगार सेवकों को शामिल किया गया। मनिका में संस्था के मिथिलेश कुमार, सुनील कुजूर, श्यामा सिंह तथा बरवाडीह में एस० पी० डब्लू० टी० के विनोद कुमार, सीएफटी के रवि रंजन टोप्पो और हेरहंज प्रखं डमें नंद किषोर गंझ और रामेष्वर गंझू राज्य संदर्भ सदस्य के रूप में भागीदारी निभाये थे।

अभियान की औपचारिक शुरूआत 20 जनवरी 2016 से हुई थी एवं 6 फरवरी को संपन्न हुई। राज्य स्तर पर प्रशिक्षित राज्य संदर्भ सदस्यों ने प्रखण्डों में चयनित पंचायत प्लानिंग दल के सदस्यों को 5 दिवसीय आवासीय एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। फिर पंचायत प्लानिंग दल के सदस्यगण प्रथम दिन गांवों के स्तर पर

100 परिवारों को एक टोला का आधार मानते हुए उनके साथ टोले का सर्वांगीण विकास, मनरेगा में मजदूरों के कानूनी अधिकार, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आधारित योजना निर्माण, अभिवंचित परिवारों को जीविकोपार्जन योजनाओं से जोड़ना आदि मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही इसी दिन टोले का सामाजिक मानचित्र तैयार किया गया। दूसरे दिन संसाधन मानचित्रण एवं मनरेगा मजदूरों का अपेक्षित वार्षिक कार्य दिवस का आकलन किया गया। अंतिम दिन अर्थात् तीसरे दिन स्थल भ्रमण कर

योजनाएँ टोला सभा में प्राथमिकता के आधार पर अभिवंचित परिवारों को ध्यान में रखते हुए तय की गई। जिसे पुनः संपूर्ण गांव के आधार पर ग्राम सभाओं के माध्यम से पारित किये गये। ग्राम सभा से पारित योजनाओं को ही नरेगासॉफ्ट में प्रवृष्टि की गई है।

## योजना बनाओ अभियान को सफल बनाने के लिए निम्न तरीके अपनाये:–

- टोला, गाँव, पंचायत, प्रखण्ड एवं जिला स्तरों पर कार्यशालाएं आयोजित किये गये।
- प्रखण्ड के सभी पंचायत मुख्यालयों में जागरूकता रथ चलाया गया।
- सघन बस्तियों में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया।
- महिला संगठनों के माध्यम से रैलियाँ निकाली गई।
- व्यापक पैमाने पर पर्चे एवं पोस्टर वितरित किये गये।

## मनरेगा अधिनियम पर महिला समूहों का एकदिवसीय प्रशिक्षण

**प्रशिक्षण का उद्देश्य:**– महिला समूहों का मनरेगा में प्रदत्त अधिकारों के प्रति क्षमता वर्द्धन करना।

महिलाओं के प्रशिक्षण से मनरेगा होगी सशक्त

प्रमुख बातें

**प्रक्रिया:**–दिनांक 30 मार्च 2016 को नरेगा सहायता केन्द्र, मनिका प्रखण्ड के विभिन्न गांवों से आये 80 महिलाओं को मनरेगा विषय पर एकदिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। झारखण्ड नरेगा वॉच के राज्य संयोजक श्री जेम्स हेरेंज ने प्रतिभागियों को बताया कि मनरेगा में एक परिवार को 100 दिन काम पाने का कानूनी अधिकार है अर्थात् एक वर्ष में 16200 रूपये पाने का अधिकार है। यदि गांव में 100 परिवार मनरेगा में प्रतिवर्ष कार्य करेंगे तो महिला समूहों के सदस्यों को बचत करने में भी अधिक परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। साथ ही गांव में स्थायी परिसंपत्ति बनने से जीविकोपार्जन के साधन भी बढ़ेंगे। महिला समूह मनरेगा में प्रदत्त मनरेगा अधिकारों को गांव तक पहुंचाने के सशक्त माध्यम हैं। सभी महिलाएं अपने–अपने समूहों में

काम मांगने हेतु महिलाओं को प्रेरित करें। काम मांगने के आवेदन अपने ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा प्रखण्ड में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को समर्पित कर उसका पावती अवश्य प्राप्त कर लें। संबंधित रोजगार सेवक द्वारा काम काम मिलने की लिखित सूचना के उपरान्त ही काम पर जाएं। कार्यस्थल पर मस्टर रॉल व अन्य कार्यस्थल सुविधाएं उपलब्ध न होने की स्थिति में त्वरित शिकायत आवेदन तैयार कर प्रखण्ड को सुपुर्द करें। अपना रोजगार कार्ड एवं पासबुक हमेशा अपने पास सुरक्षित रखें। 15 दिनों में काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता का आवेदन सुपुर्द करना है। इसी प्रकार यदि मस्टर रॉल बन्द होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर मजदूरी न मिलने की स्थिति में भी तत्काल शिकायत आवेदन जमा करें। महिलाएं इतनी सक्रियता के साथ अपने–अपने समूहों में हस्तक्षेप करेंगी तो पैसों की चोरी भी रूकेगी एवं गांवों के स्तर पर टिकाऊ परिसंपत्तियाँ भी नरेगा से बनेगी। जिससे ग्रामीण परिवारों में आर्थिक सशक्तिकरण की गति बढ़ेगी।

| क्रम सं0 | संपन्न गतिविधियाँ | परिणाम | | |
|---|---|---|---|---|
| | | मनिका | बरवाडीह | कुल |
| 1. | मजदूर समूह का गठन | 89 | 107 | 196 |
| 2. | पंजीयन हेतु आवेदित परिवार सं0 | 535 | 523 | 1058 |
| 3. | रोजगार कार्ड निर्गत परिवारों की सं0 | 160 | 184 | 344 |
| 4. | बैंक खाता खुले | 94 | 175 | 269 |
| 5. | नरेगासॉफ्ट में खो फ्रिज किये गये | 26 | 60 | 86 |
| 6. | कार्य मांग श्रमिकों की सं0 | 2678 | 1279 | 3957 |
| 7. | श्रमिक सं0 जिन्हे कार्य आवंटित किया गया | 1483 | 1094 | 2577 |

सीएफटी के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों में संस्था के सभी स्टॉफ को प्लानिंग व ग्राम सभा संचालन के लिए बेहत्तर प्रषिक्षण दिया गया। स्टॉफ के सहयोग से मनिका और बरवाडीह में 137 गांवों में ग्राम सभा के माध्यम से करीब 6098 योजनाओं का चयन किया गया। जिसमें गांव के अति कमजोर वर्ग व महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाओं का चयन किया गया। इस योजना चयन प्रक्रिया में सामाजिक, संसाधन व मौसमी मानचित्र के माध्यम से गांवों के पूराने व आधारभुत संरचना को ध्यान में रखकर प्लानिंग तथा श्रम बजट का निर्धारण कराया गया और ग्राम सभा के द्वारा 6098 योजनाओं को चयन किया गया, जिसमें सबसे अधिक बकरी, मुर्गी, पशुपलन शेड का चयन किया गया है। इसके साथ ही साथ गांव में सभी मौजूद संसाधन को जीपीएस प्वाइंट लिया गया, ताकि मनरेगा कानून उको ठीक से लागू किया जा सके।

**नरेगा सहायता केंद :–** मनिका व बरवाडीह प्रखंड मुख्यालय परिसर में जिला प्रषासन के सहयोग से नरेगा मजदूरों को सहयोग करने के लिए नरेगा सहायता केंद्र का संचालन किया जा रहा है। नरेगा मजदूरों के सभी तरह के षिकायतों को संग्रह कर प्रखंड, जिला व राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों को समर्पित की जाती है। इसके साथ ही निर्धारित समयावधि पूरा होने पर शिकायतों पर कार्रवाई प्रतिवेदन की मांग की जाती है। केन्द्र के स्तर पर सभी शिकायतों को पुख्ता दस्तावेजीकरण किया जाता है। राज्य के अन्य जिलों से

भी विभिन्न संस्था/संगठनों के प्रतिनिधि आकर केन्द्र संचालन की पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रशिक्षण लेते रहे हैं। प्रस्तुत है विगत 1 वर्ष के अन्तराल में नरेगा सहायता केन्द्र में संपन्न गतिविधियां एवं परिणामों का संक्षिप्त प्रतिवेदन।

| क्रम सं0. | संपन्न गतिविधियाँ | परिणाम |
|---|---|---|
| 1 | पंजीयन हेतु आवेदित परिवार सं0 | 115 |
| 2 | बैंक खाता खुले | 17 |
| 3 | कार्य मांग श्रमिकों की सं0 | 1153 |
| 4 | बकाया मजदूरी का शिकायत आवेदनकर्त्ता श्रमिकों की सं0 | 125 मजदूर<br>1781 हाजरी |
| 5 | बेरोजगारी भत्ता आवेदनकर्त्ता श्रमिकों की सं0 | 298 |
| 6 | मनरेगा अनुसूची 2 की धारा 24 एवं 25 के तहत् लाभान्वित मजदूर 3 को राशि 43200 रु. | 3 ( 43200) |
| 7 | वृद्धावस्था पेंशन हेतु समर्पित आवेदकों की सं0 | 13 (4 स्वीकृत) |
| 9 | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत् लाभान्वित परिवार व राशि | 1 (20000) |
| 10 | झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत मजदूर सं0 एवं नवीनीकरण | 63 + 13 |
| 11 | मनरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार मामलों पर प्राथमिकी दर्ज | 5 + 3 |
| 12 | मनरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार मामलों पर राशि की वसूली | 3,91,100 |

## सामाजिक अंकेक्षण :–

मनरेगा कानून के धारा ... में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण कोई जांच की प्रक्रिया नहीं है, मनरेगा कानून को बेहतर बनाने की प्रक्रिया। संस्था हमेशा से साजिक अंकेक्षण मनरेगा के शुरूआती समय से ही करती करते आ रही है। समय समय पर राशन, मनरेगा, वृद्धा पेंषन सहित योजनाओं को लेकर सामाजिक अंकेक्षण करते रही है। JSLPS द्वारा राज्य में मनरेगा को लेकर सोषल ऑडिट के स्वतंत्र इंकाई के गठन के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की है, इस प्रक्रिया में भी संस्था व उनके कर्मचारियों की अहम भूमिका रही। राज्य में हो रहे पाइलॉट सोषल ऑडिट में संस्था के प्रमुख साथी जेम्स हेरेंज ने राज्य संदर्भ व्यक्ति के रूप में पुरू प्रक्रिया को संपन्न कराया। वहीं संस्था के सुनिल कुजूर, श्यामा सिंह, मिथिलेष कुमार, अगरदयाल सिंह सहित कई साथियों पाइलट सोषल ऑडिट में अपनी

भागिदारी निभायी है। कोडरमा में हो विषेष पाइलट सोषल ऑडिट में जिला संदर्भ व्यक्ति रूप में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई है। वहीं राज्य व जिला स्तर पर हुई जनुसवाई में रिपोर्टिंग से लेकर जनसुनवाई की प्रक्रिया में भी संस्था के प्रमुख साथियों की अहम भूमिका रही है। इसके अलावे समय समय पर अन्य संस्था व संगठनों को संस्था के साथियों द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का प्रषिक्षण दिया जाता रहा है।

## पर्यावरण जागरूकता अभियान तक कार्यशाला :-

15 सितंबर 2015 को पर्यावरण जागरूकता अभियान को लेकर मनिका स्थित लोहिया भवन में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार व BIRVA झारखंड के सहयोग से मल्टी आर्ट एसोसिएषन द्वारा पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत कार्यषाला का आयोजन किया गया। कार्यषाला में वर्षा जल को संरक्षित कर पर्यावरण को सुरक्षित करने की जानकारी दी गयी।
कार्यषाला में बोलते हुए मल्टी आर्ट एसोसिएषन के व प्रषिक्षक जेम्स हेरेंज ने कहा कि जिस तरह से पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है, जिससे बचने के लिए सभी सचेत रहना होगा। उन्होंने कहा कि जल है, तो कल है। जल नहीं रहेगा तो, उनकी जीवन नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने क लिए जल, जंगल और जमीन को बचाना बहुत ही जरूरी है। कार्यषाला में BIRVA लातेहार के डॉ संतोष ने कहा कि छोटे–छोटे उपयों से जल बचाया जा सकता, अगर जल का संरक्षण समय पर नहीं किया गया, तो लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। मल्टी आर्ट एसोसिएषन के मिथिलेष कुमार ने जल के अभाव में आने वाले खतरों की जानकारी देते हुए लोगों से जल बचाने का आग्रह किया। उन्होंने विस्तार से वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए रूफ वॉटर हारवेस्टींग सिस्टम की बनाने की जानकारी दी, तो गांव में लोग जल को संरक्षित कर पर्यावरण व जीवन दोनों को सुरक्षित किया जा सके। कार्यषाला में संजय कुमार, पचाठी सिंह, ष्यागा सिंह सहित कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किया। कार्यषाला के दूसरे में डोंकी पंचायत के बारियतू गांव में प्रयोगिक कार्यषाला किया जायेगा। कार्यषाला में सुनिल कुजूर, सत्येंद्र नारायथण सिंह, दिलेष्वर उरांव, दिलीप रजक, मनिका प्रखंड के डोकी, कोपे, जेरूवा, सवधडीह सहित कई गांव में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया।

**पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत प्रयोगिक कार्यशाला** :– 16 सितंबर 2015 को मनिका प्रखंड के डोंकी पंचायत अंतर्गत बरियातू गांव में पर्यावरण जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत वर्षा जल को संरक्षित करने के उदेष्य को लेकर प्रयोगिक कार्यषाला का आयोजन किया गया। इस कार्यषाला में बारियातू गांव में करीब 75 महिला, पुरुष, छात्र, युवा एवं किसानों ने भाग लिया। कार्यषाला में प्रषिक्षक मिथिलेष कुमार ने लोगों को वर्षा जल बचाने को लेकर चर्चा की तथा उसे बनाने के लिए तकनीकि पहलुओं की जानकारी दी तथा इसके साथ ही साथ रूफ टॉप रेन वॉटर हारवेस्टिंग

सिस्टम पर बनाने के लिए प्रयोगिक जानकारी दी गयी। बारियातू स्कूल प्रांगण में रूफ टॉप रेन वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम बनाने कके लिए लेआउट किया गया तथा ग्रामीण इस बनाकर वर्षा जल को संरक्षित करने का संकल्प लिया था। लोगों ने अपने–अपने घरों में रूफ टॉप रेन वॉटर हारवेस्टिंग सिस्टम लगाने की बात की। वहीं कार्यशाला में बाएफ लातेहार से आये डॉ संतोष कुमार ने भी लोगों को वर्षा जल को संरक्षित करने से होने वाले फैयदा और

नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर अभी से लोग जल संरक्षण पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आने वाले दिन में लोगों को वर्षा के लिए काफी संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को अभी से वर्षा जल बचाने के लिए आगे आना होगा। इसके साथ ही साथ बाएफ द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। वहीं पंचायत प्रतिनिधि के रूप में पहुंच वार्ड सदस्य मुंगेश्वर सिंह ने कहा कि जल बचाकर जीवन को बचाया जा सकता है, वरना जल के वगैर जीवन खत्म हो सकती है।

## वनाधिकार कानून को लेकर संस्था का पहल :–

अनुसूचित जनजाति व अन्य परांपराग (वनों के मान्यता) कानून 2006 को क्रियान्वयन कर जंगलों में निवासी करने वाले आदिवासी समुदाय व ग्राम सभा में जंगल परांपरागत अधिकार दिलाने के लिए संस्था की ओर से पहल किया। इस पहल में संस्था झारखंड वनाधिकार मंच के साथ जुड़ कर 2015–16 में अभियान चलाकर पलामू, गढ़वा व लातेहार जिला के करीब 10 प्रखंड वन भूमि पर वर्षों से आश्रित लोगों वे ग्राम सभा को अधिकार के लिए सामुदायिक व

व्यक्तिगत दावा पत्रों को सृजन कराया, इसके लिए संस्था को झारखंड वनाधिकार मंच व कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा सहयोग किया गया। इन सभी प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में वनाधिकार कानून 2006 को लागू कराने व प्रचार–प्रसार के वन मित्रों का चयन किया गया। चयनित वनमित्रों को कल्याण विभाग के सहयोग जिला स्तर पर अभियान चला कर लोगों को जागरूक किया गया तथा समुदायिक व व्यक्ति पट्टा का भी सृजन किया गया। इसके साथ पंचायत प्रतिनिधियों व सरकारी कर्मचारियों को वनाधिकार कानून 2006 के प्रति जावदेव व कानूनी प्रावधानों को जानकारी देने के लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस अभियान के संस्था द्वारा करीब 1710 सामुदायिक व करीब 50 से अधिक सामुदायिक दाव पत्रों का सृजन कराया गया।

# संस्था के अन्य गतिविधि/कार्यक्रम

- संस्था नरेगा, पानी, दलित आदिवासी व महिलाओं के समस्याओं को लेकर डक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। संस्था यह प्रयास करते हुए मुद्दा आधारित डक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से लोगों के हक व न्याय के लिए जारूक करें, इसके प्रयास के लिए हमेशा आगे कारते रहेगी।
- संस्था आदिवासी, दलित व महिलाओं तथा बच्चों के अधिकार व आजीविका के लिए कार्यक्रम को लागू व संचालन करने का प्रयास करते आ रही है।
- संस्था द्वारा झारखंड में अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उप योजना के बारे में दलित व आदिवासी समुदाय के लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का संचालन में अपने सहयोगी संस्था एनसीडीएचआर के सहयोग से झारखंड के विभिन्न जिलों में व राज्य के अन्य इलाकों किया जा रहा है।
- वनाधिकार कानून को लागू कराने के लिए संस्था कल्याण विभाग के साथ व झारखंड वनाधिकार मंच के सहयोग से पांकी, लेस्लीगंज, मनातू, पांकी सतबरवा, डालटनगंज में जागरूकता कार्यक्रम के साथ वनाधिकार कानून को लागू कराने के लिए ग्राम सभा को जागरूक व उन्हें प्रषिक्षण देकर दावा पत्रों के सृजन के कामों में लगी हुई है। अब तक करीब करीब 1670 से अधिक दावा पत्रों का सृजन कराया जा चुका है।
- आदिम जनजाति को उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए समय–समय पर संस्था द्वारा जागरूकता तथा प्रषिक्षण व बैठक का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से आदिम जनजाति परिवारों को उनके अधिकार व उसे हासिल करने के लिए कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी संस्था द्वारा दी जाती रही है।
- यूआरआई के साथ जुड़ कर समाज में षांति व सद्भावना बनाए रखने के लिए संस्था हमेष प्रयास करते रही है।
- संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा मनरेगा, वनाधिकार कानून, सूचना का अधिकार अधिनियम तथा ग्राम सभा सषक्तिकरण को लेकर समुदाय के लोगों के बीच प्रषिक्षण व कार्यषाला का आयोजन किया जाता रहा है।
- मानव तस्करी के खिलाफ के संस्था जागरूकता कार्यक्रम के साथ बच्चों को उनके मां–बाप तक पहुचाने व मिलाने के लिए अपना एडभेकेसी कार्यक्रम मानव तस्करी के लिए काम करने वाले संगठनों के नेटवर्क कार्यक्रम का संचालन करते रही है।
- संस्थ महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों को लेकर प्रषिक्षण, कार्यषाला व अन्य कार्यक्रमों का संचालन करती रही है।

# अन्य संगठन/सरकारी संस्थानों के साथ नेटवर्क

- रोजी–रोटी अधिकार अभियान (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर)
- ग्राम स्वराज अभियान झारखण्ड (राज्य स्तर)
- झारखण्ड नरेगा वॉच (राज्य स्तर)
- इज्जत से जीने का अधिकार अभियान (जिला स्तर)
- भारतीय जननाट्य संघ (पलामू जिला स्तर)
- जिला प्रषासन लातेहार, पलामू एवं गढ़वा
- सर्ड एवं मनरेगा आयुक्त कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार
- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, झारखण्ड सरकार
- साझा मंच और एकता परिषद।
- झारखंड वनाधिकार मंच

# अकेक्षण रिपोर्ट 2015–2016

**Multi Art Association**

Reg Off.: [illegible]

Mailing Address: [illegible]

**BALANCE SHEET AS ON [illegible]**

| Liabilities | | Amount (Rs.) | Assets | | Amount (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| General Fund | | | | | |
| Opening Balance | [illegible] | | Fixed Assets [illegible] | | |
| Add: Excess of Income over | | | Opening Balance | [illegible] | |
| Expenditure | [illegible] | [illegible] | Addition during the year | [illegible] | |
| | | | Less: Depreciation | [illegible] | [illegible] |
| Current Liabilities & Provisions | | | [illegible] | [illegible] | |
| Audit fee payable | | [illegible] | Addition during the year | [illegible] | |
| Loan from Members | [illegible] | | Less: Depreciation | [illegible] | [illegible] |
| Loan from Members (CFT) | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | |
| Less: Repaid [illegible] | [illegible] | [illegible] | Less: Depreciation | [illegible] | [illegible] |
| | | | [illegible] | [illegible] | |
| | | | Less: Depreciation | [illegible] | [illegible] |
| | | | Current Assets | | |
| | | | Security Deposit | | [illegible] |
| | | | Grant Receivable from | | |
| | | | [illegible] | | [illegible] |
| | | | [illegible] | | [illegible] |
| | | | Advances | | [illegible] |
| | | | Cash in Hand | | [illegible] |
| | | | SBI [illegible] | | [illegible] |
| | | | [illegible] | | [illegible] |
| | | [illegible] | | | [illegible] |

As per our Report of even date annexed herewith

For Tulsyan Gupta & Company

Chartered Accountants

Place: [illegible]

Date: [illegible] August 2018

[illegible]

Tulsyan Gupta

Membership no. [illegible]

Secretary

Multi Art Association

**Multi Art Association**

Reg Off.: [illegible]

Mailing Address: [illegible]

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED [illegible]**

| Particulars | Amount (Rs.) | Particulars | Amount (Rs.) |
|---|---|---|---|
| To Programme Expenses | | By Receipts from | |
| [illegible] | [illegible] | Donation & Contribution | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | Monthly Subscription | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | [illegible] | [illegible] |
| To Facilitation Expenses | | Bank Interest | [illegible] |
| Staff Salary | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Mobility Charges | [illegible] | Miscellaneous [illegible] | [illegible] |
| Awareness Activity | [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | By Grant Receivable from [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| Office Expenses | [illegible] | | |
| Office Rent | [illegible] | | |
| Repair and Maintenance | [illegible] | | |
| [illegible] | [illegible] | | |
| Audit Fee ([illegible]) | [illegible] | | |
| To Administrative Expenses | | | |
| [illegible] | [illegible] | | |
| Printing and Stationery | [illegible] | | |
| Postage and Telephone | [illegible] | | |
| Travelling and Conveyance | [illegible] | | |
| Meeting Expenses | [illegible] | | |
| Miscellaneous Expenses | [illegible] | | |
| Repair and Maintenance | [illegible] | | |
| Vehicle Expenses | [illegible] | | |
| Depreciation | [illegible] | | |
| Audit Fee payable | [illegible] | | |
| To Excess of Income over Expenditure | [illegible] | | |
| | [illegible] | | [illegible] |

As per our Report of even date annexed herewith

For Tulsyan Gupta & Company

Chartered Accountants

Place: [illegible]

Date: [illegible] August 2018

Tulsyan Gupta

Membership no. [illegible]

Secretary

Multi Art Association

**Multi Art Association**

[illegible]